न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 390 / 14

संस्थित दिनाँक-15.05.14

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- कमलेश उर्फ भूरे पुत्र रामनाथ शर्मा उम्र 57 साल
- कपिल पुत्र कमलेश शर्मा उम्र 24 साल
- रमेश पुत्र रामनाथ शर्मा 50 साल निवासींगण ग्राम बिरखडी थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

......अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-(आज दिनांक 08.02.18 को घोषित)

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दि० 21.02.14 को प्रातः 8 बजे फरियादी अमरीश का मकान ग्राम बिरखडी थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर अमरीश को दांतों से काटकर सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।

- प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग दो के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324/34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 21.02.14 को सुबह करीब 8 बजे अभियुक्तगण जो फरियादी अमरीश शर्मा के भाई के मकान में किराए से रहते थे, जिनसे आहत रवि का दो दिन पहले मुंहवाद हो गया था। जब उक्त दिनांक को फरियादी ने अभियुक्तगण से इस संबंध में कहा तो अभियुक्तगण गाली देने लगे। गाली देने पर फरियादी एवं उसे बचाने आए रवि की मारपीट की। उक्त आशय की रिपोर्ट से अपराध कमांक 42/14 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहतगण का चिक्त्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र WIND STATE पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं 🥎
 - 1. क्या दि० 21.02.14 को प्रातः ८ बजे फरियादी अमरीश के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ, तो उनकी प्रकृति क्या थी ?
 - 2.क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अमरीश को दांतों से काटकर सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की ?
 —:: सकारण निष्कर्ष ::-
- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अमरीश अ०सा० ०1 एवं रिव अ०सा० २ को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 7 फरियादी अमरीश अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना करीब चार साल पहले सुबह 8 बजे की है। उनके भाई सर्वेश के मकान में अभियुक्त कमलेश शर्मा किराए से रहते थे। कमलेश शर्मा से उनके भानजे रिव का दो दिन पहले मुंहवाद हो गया था, जिस पर से अभियुक्त कमलेश ने उससे मुंहवाद किया तथा लातघूंसों से मारपीट कर दी। जब रिव ने बचाना चाहा तो अभियुक्तगण ने उसकी भी लातघूंसों से मारपीट कर दी। साक्षी घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 लिखाया जाना जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर का कथन करता है। नक्शामौका प्र0पी0 2 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताता है। साक्षी अपने कथन में किसी भी अभियुक्त द्वारा उसे लाठियों से मारपीट करने व मानव दांतों से काटने का कथन नहीं करता है। आहत रिव अ०सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी अमरीश का कथन समर्थन करते हुए घटना के दो पहले मुंहवाद हो जाने और कमलेश द्वारा अमरीश से मुंहवाद किए जाने तथा अमरीश की लातघूंसों से मारपीट कर देने का कथन करते हैं। यह साक्षी भी किसी अभियुक्त द्वारा दांत से काटने व लाठी डण्डों से मारपीट का कथन नहीं करते हैं।
- 8. प्रकरण में उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर दिया गया है। उक्त दोनों ही साक्षी सूचक प्रश्नों में अभियुक्तगण द्वारा डण्डों से मारपीट करने तथा अभियुक्त कमलेश द्वारा आहत अमरीश को दांत से काट लेने के तथ्य के तथ्य से इंकार करते हैं। प्रकरण में उक्त साक्षियों से अभियोजन ने उनके पूर्वतन कथन के रूप में पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं पुलिस कथन कमशः प्र0पी0 3 व 4 में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में पूछे जाने पर साक्षियों ने उनके विनिर्दिष्ट भाग को पुलिस को लिखाए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। उक्त साक्षियों ने अपने पूर्वतन कथनों से गंभीर विरोधाभासी तथ्य प्रकट किए हैं।

- अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया है कि राजीनामा के कारण साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में उक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्र0पी0 1 में कहीं भी अभियुक्त कमलेश द्वारा फरियादी अमरीश को दांत से काटने का तथ्य लेख नहीं हैं, यहां तक कि चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन में पुलिस द्वारा लिखी गयी चोटों में भी दांत से काटने की चोट का उल्लेख नहीं हैं। संहिता की धारा 324 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेत् यह तथ्य प्रमाणित होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा असन, भेदन, काटने वाली या नुकीली वस्तु से कोई उपहति स्वेच्छा कारित की हो। प्रकरण में फरियादी अमरीश अ०सा० 1 एवं रवि अ०सा० 2 ने अधिरोपित आरोप के संबंध में इंकार किया है कि अभियुक्त कमलेश ने फरियादी को दांत से काटकर चोट कारित की थी। इस कारण से मारपीट के संबंध में मात्र धारा 323 का आरोप गठित होता है, जो कि राजीनामा हो जाने के कारण दण्डनीय नहीं रह जाता है। जहां तक प्राथमिकी प्र0पी0 1 एवं पुलिस कथन प्र0पी0 3 व 4 का प्रश्न हैं तो उक्त दस्तावेज स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन के रूप में विरोधाभास एवं लोप को दर्शाने के लिए किया जा सकता है।
- अतः अभियुक्तगणों के विरूद्ध संहिता की धारा 324 / 34 का आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया 10. जाता है। उक्त आरोप के अधीन आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है। शेष आरोपों के संबंध में राजीनामे के प्रभाव से उक्त आरोपों के अधीन अभियुक्तगणों की दोषमुक्ति की जा चुकी है।
- अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की गयी। उनके निवेदन पर मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- अभियुक्तगण की यदि कोई निरोध अवधि हो तो इस संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाण 12. पत्र तैयार किया जावे।
- प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। 13.

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश